



( राजस्थान-सरकार )

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 14/2018

**बउनवान**

सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां जयें जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां  
(सायल)

**बनाम**

श्री हंसराज पुत्र हरदयाल जाति माली निवासी बामला जिला बारां  
(गैरसायल)

**इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3**

उपस्थिति :- 1- ए.पी.पी. (सायल)

2- श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभि० (गैरसायल)

**निर्णय दिनांक 24.07.2019**

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री हंसराज पुत्र हरदयाल जाति माली निवासी बामला जिला बारां के विरुद्ध जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना सदर बारां क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति अवैध जुआ सट्टा की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारां में वर्ष 2012 से 2018 की अवधि में कुल 04 आपराधिक प्रकरण जुआ सट्टा अधिनियम के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज हुये हैं। जिसमें से यह सभी प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध 41/110 जा०फो० के तहत भी इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते हैं एवं साक्ष्य देने से भी डरते हैं। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी हैं। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	27/2012	13 आर0पी0जी0ओ0	10/19.01.2012	सजा/21.04.2012
2.	375/2013	13 आर0पी0जी0ओ0	264/28.12.2013	सजा/10.01.2014
3.	145/2017	13 आर0पी0जी0ओ0	104/27.04.2017	सजा/08.05.2017
4.	43/2018	13 आर0पी0जी0ओ0	35/12.02.2018	सजा/28.02.2018

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 04 प्रकरणों में जुआ सट्टा अधिनियम के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरुद्ध अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा-3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरुद्ध गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 03.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर, जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि** चूंकि गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारां में वर्ष 2012 से 2018 की अवधि में कुल 04 आपराधिक प्रकरण जुआ सट्टा अधिनियम के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज हुये है। जिसमें से यह सभी प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध 41/110 जा0फो0 के तहत भी इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियाँ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा-3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल मय अभिभाषक उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही में पुलिस थाना बपावर जिला कोटा किया जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मैं गाँव में ही खेती का कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं स्वयं की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूँ। मेरे विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारां द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही कर मुझे जिला बदर में पुलिस थाना बपावर जिला कोटा किया जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जावे। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सदर बारां में वर्ष 2012 से 2018 की अवधि में कुल 04 आपराधिक प्रकरण जुआ सट्टा अधिनियम के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज हुये हैं। जिसमें से यह सभी प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। इसके विरुद्ध 41/110 जा0फो0 के तहत भी इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि श्री हंसराज पुत्र हरदयाल जाति माली निवासी बामला जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए हैं। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्ध है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को जुआ सट्टा अधिनियम के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 04 प्रकरणों में न्यायालय से दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री हंसराज पुत्र हरदयाल जाति माली निवासी बामला जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सदर बारां से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री हंसराज पुत्र हरदयाल जाति माली निवासी बामला जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना सदर बारां से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरुद्ध हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रुपये का स्वयं का मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरुद्ध यह आदेश दिनांक 05.08.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बारां जिला बारां को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सदर बारां से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना बपावर जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

( सुदर्शन सिंह तोमर )  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां